

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:चि.प्र./ द्रौमा /2018/

दिनांक:

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।


विषय: सभी सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सालयों में गुड सेमेरिटन (Good Samaritan) पोस्टर्स प्रदर्शन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ : निदेशालय के पत्रांक 10 दिनांक 08/01/18 एवं 21 दिनांक 17/01/18 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के आदेश एवं सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा गुड सेमेरिटन नागरिक के प्रमुख अधिकारों के सन्दर्भ में एक पोस्टर तैयार किया गया है। परिवहन विभाग के सहयोग से गुड सेमेरिटन गार्डलाईन के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सभी सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सालयों में पोस्टर्स का प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है । परिवहन विभाग से पोस्टर्स प्राप्त किये जा चुके हैं। पूर्व में भी सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको निदेशालय से पोस्टर्स प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी तक पोस्टर्स प्राप्त नहीं किये हैं वह अविलम्ब अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), निदेशालय के अनुभाग से पोस्टर्स प्राप्त करना सुनिश्चित करावे ।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान , जयपुर a/c

क्रमांक: चि.प्र./ टोमा / 2018 / 84

दिनांक: 23/3/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप परिवहन आयुक्त(स.सु.), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. ~~संयुक्त~~ निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान , जयपुर

23/3/2018